न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

मूल वाद संख्याः 96 सन् 2018

महेन्द्र नाथ शुक्ला आदि बनाम मुन्ने आदि।।

वाद प्रस्तुत करनें का दिनांक : 01.02.2018
वाद का प्रकार : स्थाई निषेधाज्ञा।
अधिवक्ता वादी : श्री सौरभ जौहरी,एड0.
अधिवक्ता प्रतिवादी :

दिनांकः 01.08.2018

आज यह वाद मुन्सरिम की आख्या के साथ प्रस्तुत हुआ। आख्या का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते दाखिल करने प्रतिवाद पत्र दिनांक 04.09.2018 तथा बनाये जाने वाद बिन्दु दिनांक 11.09.2018 को पेश हो। वादीगण प्रतिवादीगण के लिए आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें।

सिविल जज,(जू0डि0), बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।

दिनांकः 01.08.2018

6ग प्रार्थना पत्र पर वादीगण को सुना गया। 6ग प्रार्थना पत्र वादीगण की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण गाटा संख्या 28 रक्वा 0.7410हे0 ग्राम चौसर पडिया, परगना व तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत के प्रतिवादीगण संख्या 4,5 व 6 के साथ सहखातेदार के रूप में संक्रमणीय भूमिधर है। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 द्वितीय पक्ष के रूप में पक्षकार बनाये गये है, जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष अभियाचित नही है। प्रतिवादी सं04 ने प्रतिवादी सं01 के पक्ष में मुख्तारनामा आम विक्रय विलेख के निष्पादन के लिए निष्पादित किया था, जिसके आधार पर प्रतिवादी सं01 ने विवादित आराजी में से रक्वा 0.0975हे0 का बैनामा प्रतिवादी सं02 व 3 के पक्ष में कर दिया। जिसके आधार पर प्रतिवादीगण विवादित आराजी में हस्तक्षेप कर रहे है। विवादित आराजी का बंटवारा सह–भूमिधारों के मध्य नही हुआ है। अतः बिना बंटवारा किये ही प्रतिवादी सं04 की ओर से प्रतिवादी सं02 व 3 के पक्ष में बैनामा करा दिया। वादीगण की ओर से सूची 9ग में खसरा 9ग/21 व उद्धरण खतौनी 9ग/22 व 23 विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। जिसमें वादीगण का नाम सह–भूमिधरों के रूप में दर्ज है। अतः प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में नोटिस दिनांक 17.08.2018 के लिए जारी हो। नियत दिनांक तक उभय पक्ष को निषेधित किया जाता है कि वह विवादित सम्पत्ति आराजी 128 रक्वा 0.7410हे0 स्थित ग्राम चौसर पडिया, परगना व तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत में कोई नवनिर्माण न करें, न ही उक्त आराजी को हस्तान्तरित करें। वादीगण आदेश 39 नियम 03 सिविल प्रक्रिया संहिता की पैरवी तुरन्त करें।

सिविल जज,(जू0डि0), बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग

प्रार्थना पत्र 8ग पर सुना। प्रार्थना पत्र विवादित सम्पत्ति का स्थल मानचित्र बनाए जाने हेतु दिया गया है। स्वीकृत। पैरवी अन्दर तीन दिन करें। उपरान्त पैरवी अधिवक्ता कमिश्नर को परवाना जारी हो। अधिवक्ता कमिश्नर प्रार्थना पत्र 8ग के प्रकाश में अपनी आख्या नियत तिथि तक प्रस्तुत करें।

सिविल जज,(जू0डि0), बीसलपुर,
जिला पीलीभीत।